चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये 17 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 03 लाख 90 हजार 870 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध में पीडित 17 व्यक्तियों के साथ फर्जी शेयर निवेश,Apk फाइल से फ्राड,जॉब फ्राड के नाम पर 03 लाख 90 हजार 870 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 17 पीडितों का 03 लाख 90 हजार 870/- रुपया बरामद कराया गया।

आमजनमानस को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुपो के माध्यम से हानिकारक APK फाइल डाउनलोड कराने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्भावनापूर्ण रचित APK के निम्न प्रकार हो सकते है- RTO चालान,M परिवहन,YONO SBI etc. ये फाइलें एक मोबाइल वायरस (मेलवेयर) जिसे आपके द्वारा इन्स्टॉल करने पर आपके मोबाइल का सारा डेटा (फोटो,कान्टेक्ट,मैसेज,ओटीपी व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी) चोरी हो सकता है। उसके बचाव के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू दिये जा रहे है-

1.फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने ऑफर प्राप्त होने पर आप कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी शेयर न करें।

2.किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर फोन पर पैसे प्राप्त करनें के लिये यूपीआई पिन न डालना। यूपीआई पिन हमेशा पैसे भेजने के लिये प्रयोग होता है न कि प्राप्त करनें के लिये।

3.किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट को ओपन करने पर आपकी पर्सनल जानकारी फ्राडर तक साझा हो जाती है, इससे बचें।

4.ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय क्विक सपोर्ट/टीम व्यूवर/कस्टमर सपोर्ट आदि एप का इस्तेमाल करने से आपके हैण्डसेट की स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, उक्त एप्स के इस्टालेशन से बचें।

5.अज्ञात कॉलर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसों की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

6.साइबर एक्सटार्शन (न्यूड वीडियो क्लिप भेजकर/धमकी भरे हमले को रोकने के लिये पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

7.आपके किसी परिचित को एक्सीडेन्ट/बीमार दिखाकर ईलाज हेतु आँन-लाइन पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

8.सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेंचने के नाम पर ठगी(फिसिंग) करतें हैं सामान अधिकृत विक्रेता/दुकान से ही खरीदें किसी को एडवान्स पैसा न भेजें।

9.अज्ञात नम्बरों से हूबहू आपके परिचितों की आवाज में पैसे आदि की डिमाण्ड करने पर अपने उस परिचित से पुष्टि करने के उपरान्त ही पैसे भेंजे।

10.घर बैठे रोजगार (पेन्सिल कारोबार, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइबर बढाये जाने का कार्य) पाने के नाम पर ठगी/पैसे की मांग करनें पर पैसे न भेंजें ।

नोट-किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 30.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2021 धारा 376, 506 आईपीसी व 06 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त सिकन्दर उर्फ अमरनाथ पुत्र दीनानाथ तिवारी निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 55000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 05.02.2021 को एक वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त सिकन्दर उर्फ अमरनाथ तिवारी उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ जबरन बार बार दुष्कर्म करना,जान से मारने की धमकी देना व 5-6 माह की गर्भवती कर देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 53/2021 धारा 376,506 आईपीसी व 06 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की गयी थी। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी अभियुक्त को दिनाँक 10.02.2021 को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 04.05.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 30.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 501/2018 धारा 307,34,504,506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त 1.विनय कुमार सिंह पुत्र छोटा सिंह 2.धीरेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासीगण खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 16000/-16000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.07.2018 को वादी कृष्णकान्त पाण्डेय पुत्र जमुना प्रसाद पाण्डेय निवासी खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि अभियुक्त विनय कुमार सिंह व धीरेन्द्र सिंह द्वारा द्वारा उनके भाई शिवाकान्त को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार करना,मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 501/2018 धारा 307,34,323,504,506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दयालदास द्वारा सम्पादित की गयी थी। आरोपी को दिनांक 22.07.2018 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 19.08.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी न्यू (डकैती कोर्ट) श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 30.05.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.ब्रिजेन्द्र आरख पुत्र फूलचन्द्र आरख निवासी सरैया थाना मानिकपुर 2.ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र श्यामलाल आरख निवासी गणेशपुर कटरी डेढावल थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी 3.नन्द किशोर उर्फ ननका पुत्र बोड़ीलाल आरख निवासी कटरी हेणहावड़ थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी को 05-05 वर्ष का कारावास व 10-10/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0/एफटीसी श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 30.05.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2018 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त रामबाबू पुत्र लल्लू निवासी ग्राम अमरपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली कर्वी एवं थाना मऊ की पुलिस टीम ने 11 जुआरियों को जुआ खेलते हुए मालफड़ से 9900/- रूपये व 52-52 अदद तास पत्ता तथा जामा तलाशी से 1130/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 अमरेन्द्र सिंह,उ0नि0 अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी मोहित कुमार,आरक्षी विपिन कुमार,आरक्षी राहुल पुरी,आरक्षी अनिकेत,आरक्षी इंदल,आरक्षी महेन्द्र शुक्ला थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्तगण 1.तेजप्रताप पुत्र गोरेलाल निवासी गोरेलाल उम्र 30 वर्ष निवासी बघेलाबारी थाना फतेहगंज जनपद बांदा 2.कमलेश पुत्र स्व0 सूरजदीन निवासी पैकोरामाफी थाना रैपुरा 3.अनुज कुमार पुत्र धनश्याम 4.जगदीश पुत्र महेश प्रसाद निवासीगण सोनेपुर 5.जानकीशरण पुत्र अमृतलाल निवासी सिद्धपुर 6.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र अखिलेश निवासी शंकर बाजार कर्वी 7.शिव सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी बेलहा थाना रैपुरा 8.हीरापती पुत्र गोरेलाल निवासी गहिरानाथ थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से 7300/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 7800/- रुपये बरामद किए गए।
(ii). उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा व आरक्षी प्रकाश मिश्रा,आरक्षी शुभम त्रिपाठी,रि0आरक्षी अमन सिंह,रि0आरक्षी आकाश मौर्य,रि0महिला आरक्षी शिखा थाना मऊ द्वारा अभियुक्तगण 1.अजीत कुमार सिंह पुत्र देवकुमार सिंह उम्र करीब 36 वर्ष 2.प्रकाश द्विवेदी पुत्र मारकण्डे द्विवेदी उम्र करीब 44 वर्ष 3.नागेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह उम्र करीब 59 वर्ष निवासीगण ग्राम पूरब पताई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को तास के पत्तो में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ के 2600/- रुपये नकद,52 अदद तास के पत्ते व जामा तलाशी से बरामद 350/- रुपये बरामद किये गए।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका रेखा देवी पत्नी नरेश वर्मा पुत्री संतूलाल निवासी मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने अपने पति नरेश वर्मा व ससुराली जनो के विरूद्ध के विरूद्ध गाली गलौज व मारपीट कर घर से निकाल देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी व महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी

2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह